



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक 293 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक -09 /06 /2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश चन्द्र बहुगुणा	वि०/या० खण्ड बाजपुर	वि०/या० खण्ड पिथौरागढ़	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
- अधीक्षण अभियन्ता, 05 वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
- अधिसासी अभियन्ता, वि०/या० खण्ड, लो०नि०वि०, बाजपुर/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पत्रांक 294 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक - 09/06/2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश सिंह टोलिया	वि०/या० खण्ड बाजपुर	वि०/या० खण्ड पिथौरागढ़	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
- अधीक्षण अभियन्ता, 05 वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी
- मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
- अधिसासी अभियन्ता, वि०/या० खण्ड, लो०नि०वि०, बाजपुर/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक 295/02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक - 09 / 06 / 2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश कुमार	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	वि०/या० खण्ड ऋषिकेश	17 (1) (ग)

- 1 सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- 4 स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ वृत्त/11 वॉ वि०/या० वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी/ देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वि०/या० खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

